

8c ~~1~~

अंचल-पाकुड़ (सदर), जिला -पाकुड़

1

30/9/20

अभिलेख उपस्थापित । अभिलेख का आवलोकन किया । पूर्व में सभी अतिक्रमण कारियों को Form-I एवं Form-II में नोटिस निर्गत किया गया है । जो अभिलेख वरु हे संवर्धित बाउंडर निरीक्षण के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अतिक्रमण कारियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं होताया गया है । सभी अतिक्रमण कारियों को पुनः नोटिस निर्गत करें ।

अ. अ. ०
30/9/20

श्रीयय

अभिलेख उपस्थापित । अभिलेख का आवलोकन किया । संवर्धित बाउंडर निरीक्षण के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा खलीनगर के खाता सं० 812, दाग सं० 947 एवं 912 पर अतिक्रमण कारियों (1) जमानुद्दीन खैर, पिता ईलाही वरस खैर, अकताकल खैर, पिता खैर विनात खैर (2) सपन समारिक पिता खैर खैर समारिक (3) सती समारिक, पिता खैर समारिक, (4) खैरिक-चन्द्र दास पिता खैर-चन्द्र दास एवं (5) सपन दास पिता खैर नारायण-चन्द्र दास के द्वारा अतिक्रमण भूमि से अतिक्रमण हटा लिया गया है । बाद ही उर्वर सम्पत्ति हो जाती है ।

अ. अ. ०
श्रीयय
अ. अ. ०
पा. अ. ०